अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री मदनलाल गुर्जर/विजय पोषक श्री सुमित जैन/भवानी सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्योजी बनाम राजस्थान सरकार वगैरह (2025/450)	
01.10.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक कैवियटकर्ता उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने आपत्ति कर निवेदन किया कि कैवियटकर्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं है अतः उन्हे कैवियट पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है अतः कैवियट को सारहीन किये जाने के आदेश प्रदान कर स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक कैवियटकर्ता ने दौराने जवाब निवेदन किया कि वर्तमान में हम रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है हमें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः कैवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार है अतः जवाब के लिये आज समय दिया जावे। अभिभाषक उभयपक्ष को आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। बहस अधूरी रही पत्रावली वास्ते बहस आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र स्थगन (पार्टहर्ड) दिनांक 03.10.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
03.10.2025	पत्रावली वास्ते (पार्ट हर्ड) आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र स्थगन सुनवाई हेतु पेश की गई। अपीलांट की ओर से श्री विजय पोषक एवं कैवियटकर्ता की ओर से श्री सुमित जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल हो। अभिभाषक कैवियटकर्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 141 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 151 सीपीसी पेश किया, जो शामिल मिसल हो। अभिभाषक उभयपक्ष को आपत्ति, प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 141 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 13.10.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
06.10.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक कैवियटकर्ता उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 03.10.2025 को प्रार्थना पत्रों पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अभिभाषक कैवियटकर्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये है कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के तहत पारित किये गये है जो कि अपील योग्य नहीं है तथा प्रार्थीया उपरोक्त भूमि पर खातेदार स्वरूप काबिज चली आ रही है एवं प्रार्थीया को ही पक्षकार नहीं बनाकर अपीलार्थी द्वारा बिना कब्जे के योग्य अधीनस्थ न्यायालय से घोषणा श्रेणी का अनुतोष चाहना अपने आप में विधि संगत नहीं होने से वाद निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अपील एवं वाद में सम्पूर्ण सह खातेदारों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है इस कारण वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अवधारर्णीय नहीं होने से अपील भी सुनवाई योग्य नहीं है। अभिभाषक अपीलांट ने विरोध कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किये गये थे किन्तु बिना कारण ही स्थगन आदेश को वैकेट कर दिया गया है उक्त आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आदेश पारित किये है जिसकी अपील श्रीमान के न्यायालय में पूर्णतय पोषणीय है अतः अभिभाषक कैवियटकर्ता का प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

प्रभोजी v/s सरकार

450/2025/225

लगातार...

अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 खारिज किया जावे। अभिभाषक कैवियटकर्ता ने अपने समर्थन में ए0आई0आर0 1992 पेज 316, ए0आई0आर0 1986 पेज 47 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र अपील तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2025 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। उक्त आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में पारित किया है जो कि अंतरिम आदेश है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस संबंध में हमने 2021 आर0बी0जे0 पेज 222 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955– धारा 221 व 225–एस0डी0ओ0 द्वारा पारित अन्तरिम आदेश अपील योग्य है इसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है अतः अपील कानूनी रूप से न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय है।

तत्पश्चात हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 141 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र स्थगन का निस्तारण करना उचित समझते है।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 141 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्रों तथा अपील एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि प्रार्थी/ अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुना जाकर अंतरिम स्थगन आगामी पेशी दिनांक 09.07.2025 तक पारित किया गया था तथा दिनांक 08.09.2025 को अंतरिम स्थगन आदेश को आदेश 39 नियम 3 (क) के तहत अपास्त किया गया। जो कि एक अंतरिम आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्ककारी अधिनियम के तहत विचाराधीन है। कैवियटकर्ता छोटी द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी प्रस्तुत किया गया था, जो कि विचाराधीन है। अतः उपरोक्त कारणों से न्यायालय हाजा द्वारा अपील तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 141 सीपीसी को बिना गुणावगुण पर निर्णित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट इसी स्तर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) सपठित धारा 141 सीपीसी को उभयपक्ष को समुचित जवाब/सुनवाई का अवसर देते हुए स्वविवेक एवं कानूनी प्रावधानों के तहत निस्तारित करें तथा उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के उपरांत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर 30 दिवस में गुणावगुण निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

29/7

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टी एक्ट संख्या 450 सन 2025 जिला अजमेर

2025/450

श्योजी पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी ग्राम टिकावडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

अपीलाट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर।
2. पटवारी हल्का टिकावडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
3. उपपंजीयक अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर।

रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगढ दिनांक 8.9.2025 प्रकरण सख्या 143/2025 बउनवानी श्योजी बनाम सरकार में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है:–

अ. यह कि इस अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादी/अपीलांट ने प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्व एक राजस्व वादएंव

450/2025
19.9.25

राजस्व अपील अधिकारी अजमेर
(19.9.25)

Scanned with CamScanner